

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम २०१
 कर्हैया वर्ग ० बनाम मुली देवी वर्ग ०
 न सन

<p>हुक्म या कार्रवाही मय इनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
---	--

आज यह दवा अर्न्त घारा ४४, ४५, १४४ RTAet वादी वकील श्री लेश कुमार द्वारा पेश किया गया। प्रकरण दर्ज राफिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्म राफिस्टर्ड नोटिस जारी हो। पत्रावली डिकेठ ०७/०२/२०२२ को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 पैपी जिला अलवर

24/22

आज यह पत्रावली वादीगणों द्वारा प्रादुत प्रार्थना पत्र के द्वारा पेश हुई। प्रार्थना पत्र प्रादुत कर वादीगणों द्वारा उक्त प्रकरण को विद्रा करने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र में आपसी सहमति में राजीनामा होना जाहिर किया है। और दाने में ऊजे कोई कार्यवाही नहीं चाहे है।

आदि कर्हैया



कता वादीगण का प्रार्थना पत्र (निसार मिया जाकर शामिल मिसल कर प्रकरण ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर राफिस्टर से कम भीपति) बाफ प्रते अफर राखिल हो।

कता कर्हैया



उपखण्ड अधिकारी
 पैपी जिला अलवर